संख्या: 1924/सात-अ0न्या0-13/89

प्रेषक,

श्री के0एल0शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय (अधीनस्थ न्यायालय) अनुभाग — लखनऊ: दिनांक 19 अगस्त, 1989

विषय: उच्च न्यायालय के अधीन जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के 50 अस्थायी पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के राजकीय, निदेशालय स्तर, मण्डलीय स्तर, अथवा जनपदीय स्तर जहाँ पर तृतीय श्रेणी के 50 कर्मचारी कार्यरत हों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का एक पद वेतनमान 2000-3200 रु0 में सृजित किया जाय, अतः शासन के उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्यपाल महोदय प्रदेश के प्रत्येक जिले (जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ललितपुर तथा नव सृजित जिले मऊ, सिद्धार्थ नगर, हरिद्वार, फिरोजाबाद एवं सोनभद्र को छोड़कर) शेष 50 जिलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालयों में एक एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 50 अस्थायी पदों को रु0 2000-60-2300-दरो-75-3200 के वेतनमान में इन आदेशों के जारी होने की तिथि या नियुक्ति की तिथि से जो भी बाद में हो 28 फरवरी 1990 तक यदि वे पूर्व सूचना के पहिले ही समाप्त न कर दिये जायं, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उक्त अधिकारियों को मँहगाई तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्य होंगे जिस सीमा तक समय समय पर लागू नियमों एवं राजाज्ञाओं द्वारा वे उनके अधिकारी होंगे ।

3- उक्त पदों पर नियुक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा सदर मुंसरिम की प्रोन्नति द्वारा की जायेगी ।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष (1989-90) के

...2/-

य व्ययक के अनुदान संख्या 42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सत्र न्यायालय-01-जिला तथा सत्र न्यायाधीश" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा तथा बचतों से वहन किया जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-676/दस-89, दिनांक 14 अगस्त, 1989 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(के०एल०शर्मा)
सचिव ।

संO-1924(1)/सात-अ०न्या0-13/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (आडिट), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, प्रथम (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- वित्त (ई-9) अनुभाग ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग - 1/2
6- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 1 व 2 3/3 प्रति सहित
7- समस्त जिला जज, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2
9- सचिव, प्रथम, मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
10- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
11- उप निबन्धक (बजट) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
12- उप निबन्धक (सेवायें) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
13- व्यय रजिस्टर हेतु ।
14- न्याय (आय-व्ययक नियोजन) अनुभाग ।

आज्ञा से,

(एस०एस०कुलश्रेष्ठ)
संयुक्त सचिव ।